सं0 स0— टी—2 संबंधन—08 / 2018 2970 /

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

प्रेषक,

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना ।

सेवा में,

प्राचार्य / निदेशक
सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
बिहार।

पटना, दिनांक— 24.10.2024 /

विषयः— निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन / परीक्षा से संबंधित निर्धारित सभी शुल्क इत्यादि का बोर्ड बनवाकर संस्थानों के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने के संबंध में।

प्रसंगः— विभागीय अधिसूचना संख्या—1308 दिनांक—27.06.2022 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या—1308 दिनांक—27.06.2022 (प्रति संलग्न) द्वारा राज्यान्तर्गत NCVT संबंधन प्राप्त सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले वार्षिक प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है—

क्र0सं0	व्यवसाय की श्रेणी	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत प्रति प्रशिक्षणार्थी वार्षिक शुल्क
1	इंजीनियरिंग	26,000 / —
2	गैर—इंजीनियरिंग	21,200 / —

2. इसके अतिरिक्त निम्न विवरणी के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों से लिए जाने वाली परीक्षा शुल्क निर्धारित है—

क्र0सं0	शुल्क की श्रेणी	शुल्क का विवरण	प्रशिक्षणार्थियों से ली जाने वाली राशि (रू0)
1	परीक्षा शुल्क	व्यवहारिक	200 / —
		सैद्धांतिक (समय समय पर DGT भारत सरकार द्वारा निर्धारित)	213 / — (GST अतिरिक्त)

उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन / परीक्षा से संबंधित निर्धारित सभी शुल्क इत्यादि का बोर्ड बनवाकर संस्थानों के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड पर संस्थान का नाम एवं प्राचार्य / निदेशक का हस्ताक्षर निश्चित रूप से अंकित होना चाहिए। साथ ही शुल्क संबंधी किसी प्रकार की जानकारी / शिकायत हेतु बोर्ड पर कार्यालय / प्राचार्य का दूरभाष / मोबाईल नं0 अंकित होना चाहिए। यह कार्य दो सप्ताह के अन्दर पूर्ण करते हुए प्रदर्शित बोर्ड का रंगीन फोटो निदेशालय को det-bih@nic.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नकः— यथोक्त।

विश्वासभाजन

22.10.24

निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक— टी–2 संबंधन–08 / 2018 2970 / पटना, दिनांक 24/10/2024

प्रतिलिपिः— विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन / परीक्षा से संबंधित निर्धारित शुल्क की विवरणी (प्रति संलग्न) को विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाय।

22.10.24

निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना ।

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन / परीक्षा से संबंधित निर्धारित सभी शुल्क से संबंधित विवरणी–

(i) प्रशिक्षण शुल्क से संबंधित विवरणी–

क्र0सं0	व्यवसाय की श्रेणी	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत प्रति प्रशिक्षणार्थी वार्षिक शुल्क
1	इंजीनियरिंग	26,000 /–
2	गैर–इंजीनियरिंग	21,200 /–

(ii) परीक्षा शुल्क से संबंधित विवरणी–

क्र0सं0	शुल्क की श्रेणी	शुल्क का विवरण	प्रशिक्षणार्थियों से ली जाने वाली राशि (रू0)
1	परीक्षा शुल्क	व्यवहारिक	200 /–
		सैद्धांतिक (समय समय पर DGT भारत सरकार द्वारा निर्धारित)	213 /– (GST अतिरिक्त)